न्यायालय कलक्टर (आर्बीट्रेटर)नेशनल हाईवे अजमेर

प्रकरण संख्या 44 / 2011

1. श्री त्रिलोक चन्द पुत्र श्री पारसमल
2. श्री मिलापचन्द पुत्र श्री पारसमल
3. श्री धर्मीचन्द पुत्र श्री जुगराज जैन
   उपरोक्त निवासी खरवा तहसील मसूदा। .....प्रार्थीगण

बनाम

1. भारत सरकार द्वारा सचिव पोत परिवहन–सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सडक परिवहन और राजमार्ग विभाग),केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जी–586, सेक्टर–10 द्वारका नई दिल्ली।
3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम 1956

उपस्थितः– 1. श्री ललित सोगानी अभिभाषक प्रार्थीगण
2. राजेन्द्र प्रंसाद शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी0

आदेश

दिनांक – 06.12.2017

दावा :– नेशनल हाइवेज एक्ट 1956 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 13.2.2009 तथा सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.7.2009 में प्रश्नगत अवाप्त भूमि खसरा संख्या 1866 क्षैत्रफल 0.6048 हैक्टयर किस्म बारानी 2, बारानी 3 तथा खसरा संख्या 1867 क्षैत्रफल 0.1920 हैक्टयर किस्म बारानी 2 बाबत भूस्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम में पारसमल व धमीचन्द्र का नाम दर्ज किया गया है। जबकि खातेदार पारसमल पुत्र जुगराज का देहान्त हो चुका है, तथा प्रार्थी त्रिलोकचन्द व मिलापचन्द स्व0 श्री पारसमल के विधिक उत्तराधिकारी है, जिनका नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका है। यह प्रार्थना पत्र उनके द्वारा श्री पारसमल के उत्तराधिकारीगण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि का मुआवजा राशि कृषि भूमि मानते हुए किया गया, जबकि अवाप्त शुदा भूमि आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से घिरा हुआ है। अतः पारित मुआवजा न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थी सं0 03 द्वारा प्रश्नगत अवाप्त भूमि का मुआवजा उस क्षैत्र की निर्धारित डी.एल.सी दर से भी कम मुआवजा निर्धारित किया गया है। अतः न्यायहित में खातेदार पारसमल व नौरतमल के उत्तराधिकारियों प्रार्थी सं0 1, 2, के साथ खातेदार धर्मीचन्द का नाम अंकित कर अवाप्त भूमि के आस पास हो रही वाणिज्यिक गतिविधियों के मुताबिक भूमि के संभावित उपयोग

06/12/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अनुसार यथोचित मुआवजा निर्धारित कर प्रार्थीगण को भुगतान किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशा0) अजमेर से प्रार्थना पत्र बाबत् टिप्पणी प्राप्त की गई।

प्रतिरक्षण :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 6 लेन सडक निर्माण हेतु (किशनगढ–अजमेर–ब्यावर सेक्शन) भूमि अवाप्ति बाबत अधिसूचना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 क (1) के अन्तर्गत दिनांक 13 फरवरी, 2009 को धारा 3 डी की प्रकाशित अधिसूचना 29 जुलाई 2009 के अन्तर्गत अपीलार्थी की ग्राम खरवा के खसरा नम्बर 1866 रकबा 0.6048 हैक्टयर, खसरा नं0 1867 रकबा 0.1920 हैक्टयर, किस्म बारानी 2 अवाप्त की गई। राजस्व रेकार्ड में अंकित अनुसार निर्धारित डी.एल.सी दर से मुआवजा निर्धारण कर सम्बन्धित हितबद्धधारी व्यक्तियों को जरिये चैक संख्या 352715–17 दिनांक 28.4.2010 से भुगतान किया जा चुका है। अवार्ड दिनांक 19.11.2009 एन.एच.एक्ट 1956 के प्रावधानों के परिधि में विधिवत रूप से मुआवजे का आंकलन किया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथ्य सारहीन एवं निराधार है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा किया गया मुआवजा का आंकलन विधि अनुरूप होने से इसमें हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रतिरक्षण में प्रस्तुत जवाब कथनों के आधार पर मुख्यतः वादं बिन्दू तय किये गये।

वाद बिन्दू :–

- आया खसरा नं0 1866 रकबा 0.6048 हैक्टयर, खसरा नं0 1867 रकबा 0.1920 हैक्टयर में से अवाप्त सम्पूर्ण भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण व्यवसायिक दर से प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा अपने दावे/प्रतिरक्षण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा वाद बिन्दू को तय किये जाने का प्रयास किया गया।

आपसी सहमति :– माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाही के तहत कायम वाद बिन्दू पर आपसी सहमति बनाये जाने के प्रयास के तहत उभय पक्ष को आमने सामने बिठाकर सुलह का प्रयास करवाया गया। उभय पक्ष में इस दौरान किसी भी बिन्दू पर सहमति नहीं बन पाई।

उपस्थित उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को प्रकरण में गुणावगुण पर विनिश्चय करने के लिए सहमति प्रकट करते हुए आदेश पारित करने के आग्रह पर उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वाद बिन्दूवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है।

- आया खसरा नं0 1866 रकबा 0.6048 हैक्टयर, खसरा नं0 1867 रकबा 0.1920 हैक्टयर में से अवाप्त सम्पूर्ण भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण व्यवसायिक दर से प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

इस बिन्दू बाबत प्रार्थी0 का मुख्यतः तर्क है कि अवाप्त भूमि राजस्व रेकार्ड मुताबिक खातेदार पारसमल के उत्तराधिकारियों प्रार्थी सं0 1, 2, के साथ खातेदार अप्रार्थी सं0 3 धर्मीचन्द द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अवाप्त भूमि के पडौस में हो रही वाणिज्यिक गतिविधियॉं एवं भूमि के संभावित उपयोग को ध्यान में रखते हुए मुआवजा दिलाया जाना चाहिए। जबकि अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है, तद्नुसार अवाप्त भूमि का निर्धारित मुआवजा संबधित हितबद्धधारियों को जरिये चैक भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तिम विनिश्चय हेतु उपरोक्त बिन्दू बाबत अप्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अभिभाषक का तर्क है कि अवाप्त भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है तथा विधिक वारिसान के बिन्दु पर आवेदक राजस्व रेकार्ड में शुद्धि करवाकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार मुआवजे की हिस्सा राशि का पुर्ननिधारण कर दिया जावेगा।

आदेश

प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति), अजमेर द्वारा निर्धारित मुआवजे में हस्तक्षेप करने हेतु पर्याप्त प्रमाणित आधार स्पष्ट नहीं होने से प्रार्थना पत्र उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। आदेश प्रति प्राधिकृत अधिकारी(भूमि अवाप्ति),एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को हस्ब कायदा प्रेषित हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

06/12/17

(गौरव गोयल)
कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नेशनल हाईवे, अजमेर

Scanned by CamScanner